

सांघी औद्योगिक समूह को सी० आर० जेड० अनुमोदन प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन

1842. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:

श्री दिलीप सिंह जुदेव:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य के कच्छ जिले में सीमेंट करखाने की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय अध्यादेश के अन्तर्गत सी०आर०जेड० अनुमोदन के लिए उनके मंत्रालय को एक अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) उनके द्वारा अभी तक उक्त समूह को अनुमति प्रदान न किये जाने के क्या कारण और औचित्य है; और

(घ) इस संबंध में उन्हें अब तक संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं और अब तक ऐसे पत्रों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री)
(श्री बाबू लाल मरांडी): (क) से (घ) गुजरात के कच्छ जिले में मैसर्स सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सीमेंट परियोजना के लिए कैप्टिव जैटी के लिए सी०आर०जेड० निक्कासी के लिए इस मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था। तदन्तर उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद कि संबंधित भूमि एक संरक्षित वन है, गुजरात सरकार ने इस प्रयोजन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि के विचलन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस परियोजना पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए कुछ संसद सदस्यों से भी पत्र प्राप्त हुए हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। परियोजना के बारे में इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

आई०एन०ए०, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा सफरदजंग अस्पताल के आसपास पर्यावरण की स्थिति

1843. श्री सुर्यभान पाटील वहाडणे: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आई०एन०ए०, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा सफरदजंग अस्पताल

के आसपास प्रदूषण के लगातार बढ़ने से इन क्षेत्रों का पर्यावरण काफी खराब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन क्षेत्रों में खाली भूमि जैसे डिवाइडरों, सड़क के किनारों एवं अस्पताल के अन्दर पार्कों में वृक्षों का अभाव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार इन क्षेत्र में प्रदूषण-स्तर को कम करने के लिए संबंधित विभाग की सहायता से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का विचार रखती है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) और (ख) यह देखा गया है कि आई०एन०ए० अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफरदजंग अस्पताल के पास परिवेशी वायु गुणवत्ता वाहन उत्सर्जन के कारण प्रभावित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान/आई०एन०ए० यातायात चौराहे पर परिवेशी वायु की गुणवत्ता को नियमित रूप से मानीटर कर रहा है।

(ग) से (च) खाली भूमि जैसे विभाजकों, सड़क के किनारों और सफरदजंग अस्पताल के अन्दर पार्कों में वृक्षारोपण का उत्तरदायित्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का है। हरित दिल्ली योजना के अंतर्गत संबंधित सरकारी विभागों की सहायता से बनीकरण अभियान चलाए गए हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में लगभग 650 पेड़ लगाने का प्रावधान है।

खाली भूमि जैसे विभाजकों, सड़क के किनारों और आई०एन०ए० के पास पार्कों में वृक्षारोपण के लिए नई दिल्ली नगरपालिका उत्तरदायी है। हरित दिल्ली योजना के अंतर्गत नई दिल्ली नगरपालिका ने वर्ष 1998-99 के दौरान इस क्षेत्र में लगभग 150 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

Revenue Land under Zudpi Jungle

1844. DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what is the latest position of the case of 'Zudpi Jungle' matter in the Vidarbha region of Maharashtra where